विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 मार्च, 2009

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–3/2009–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27–3–2009 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका प्रकटीकरण विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 6) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाट सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

ओदश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,,
सचिव।

————————

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2009

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार।
2. परिभाषाएं।
3. नगरपालिका की बाध्यता।
4. सूचना के प्रकट किए जाने की रीति।
5. नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची

2009 का अधिनियम संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2009

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 27 मार्च, 2009 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिकाओं के कार्य संचालन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए उपबन्ध करने हेतु **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य की समस्त नगरपालिकाओं पर है।

2. **परिभाषाएं.**——इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——

(क) ''परिसम्पत्तियों'' से किसी नगरपालिका में निहित समस्त स्थावर सम्पत्तियां अभिप्रेत हैं;

(ख) ''नगरपालिका'' का वही अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 2 के खण्ड (33) के अधीन उसका है;

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(घ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. **नगरपालिका की बाध्यता.**——(1) प्रत्येक नगरपालिका, अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में और ऐसे प्ररुप में, सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध रखेगी तथा प्रकाशित करेगी, जैसा विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक नगरपालिका का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित सूचना को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् प्रकट करे।

4. **सूचना के प्रकट किए जाने की रीति.**——अपेक्षित सूचना का प्रकटन ऐसी रीति में होगा जैसी विहित की जाए और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेगा ,——

(i) हिन्दी और अंग्रेजी में क्षेत्रीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो ;

(ii) इन्टरनैट ;

(iii) नगरपालिका के सूचना पट्ट; और

(iv) कोई अन्य पद्धति, जो विहित की जाए।

5. **नियम3 बनाने की शक्ति.**——(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

{ धारा 3 (2) देखें}

भाग–क

(i) नगरपालिका की विशिष्टियां ;

(ii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और इसके परामर्श के प्रयोजन के लिए इसके भाग के रूप में गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों से गठित अन्य निकायों के विवरण और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनसाधारण के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनसाधारण के लिए अभिगम्य हैं;

(iii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका; और

(iv) अधिकारियों का विवरण, जो प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए रियायतें, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार प्रदान करते हैं।

भाग–ख

(*i*) तुलन–पत्र के संपरीक्षित वित्तीय विवरण, प्राप्तियां और व्यय तथा तिमाही आधार पर कैश फ्लो, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दो मास के भीतर; तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कानूनी रूप से सम्परीक्षित विवरणियां; वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर;

(ii) नगरपालिका द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे सेवा स्तर;

(iii) समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गई मुख्य सेवाओं पर वास्तविक व्यय या किए गए क्रियाकलाप तथा किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विवरणियां ;

(iv) उपलब्ध करवाई गई मुख्य सेवाओं पर साहायिकी कार्यक्रमों या नगरपालिका द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे तथा ऐसे कार्यक्रमों के लिए हिताधिकारियों की पहचान की रीति और मानदण्ड ;

(v) नगरपालिक क्षेत्र के विकास से सम्बद्ध मास्टर प्लान, शहरी विकास योजना या किसी अन्य योजना के विवरण ;

(vi) कार्यों का मूल्य, पूर्ण करने का समय और संविदा के ब्यौरों की सूचना सहित मुख्य संकर्मों के विवरण जो विहित किए जाएं;

(vii) नगरपालिक निधियों के ब्यौरे अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष में हुई आय जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः—

(क) कर, शुल्क, उपकर तथा अधिभार, सम्पत्तियों से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञाओं से फीस ;

(ख) कर, शुल्क, उपकर तथा अधिभार, सम्पत्तियों से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञाओं से फीस जो असंगृहीत रही है और उसके कारण;

(ग) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत करों के अंश (भाग) और उनका नगरपालिका को अन्तरण तथा नगरपालिका को प्रदान किए गए अनुदान ;

(घ) नगरपालिकाओं को सौंपी गई या न्यस्त स्कीमों, परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान तथा उपयोग की रीति और सीमा; और

(ङ) जन साधारण या गैर सरकारी अभिकरणों से दान या अंशदान के माध्यम से जुटाया गया धन;

(viii) प्रत्येक वार्ड के लिए आबंटित वार्षिक बजट; और

(ix) ऐसी अन्य सूचना जैसी विहित की जाए।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPALITY DISCLOSURE ACT, 2009

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and extent.

2. Definitions.

3. Obligation of municipality.

4. Manner of disclosure of information.

5. Power to make rules.

Schedule.

Act No. 11 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPALITY DISCLOSURE ACT, 2009

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 27TH MARCH, 2009)

AN

ACT

to provide for transparency and accountability in the functioning of municipalities in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and extent.*—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipality Disclosure Act, 2009.

(2) It extends to all the municipalities in the State of Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires ,—

(*a*) "assets" means all immovable properties vested in a municipality;

(b) "municipality" shall have the meaning assigned to it under clause (33) of section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act,1994 (12 of 1994) ;

(*c*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(*d*) "Schedule" means Schedule appended to this Act.

3. *Obligation of the municipality.*—(1) Every municipality shall maintain and publish its records duly catalogued and indexed in such manner and in such form as may be prescribed.

(2) It shall be the duty of every municipality to disclose the required information as specified in the Schedule after the end of each quarter.

4. *Manner of disclosure of information.*—The required information shall be disclosed in such manner as may be prescribed which may include,—

(*i*) regional news paper in Hindi and English which has *wide* circulation in the area;

(*ii*) internet;

(*iii*) notice boards of the municipality; and

(*iv*) any other mode as may be prescribed.

5. *Power to make rules.*—(1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

SCHEDULE

[*See* section 3 (2)]

PART—A

(*i*) Particulars of the municipality;

(*ii*) A Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more person constituted as its part for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public;

(*iii*) A directory of its officers and employees; and

(*iv*) The particulars of officers who grant concessions, permits or authorizations for each activity;

PART—B

(*i*) Audited financial statements of Balance Sheet, Receipt and Expenditure, and Cash Flow on a quarterly basis, within two months of the end of each quarter; and statutorily audited financial statements for the full financial year, within three months of the end of the financial year;

(*ii*) The service levels being provided for each of the services being undertaken by the municipality;

(*iii*) Particulars of all plans, proposed expenditure, actual expenditure on major services provided or activities performed and reports on disbursements made;

(*iv*) Details of subsidy programmes on major services provided or activities performed by the municipality, and manner and criteria of identification of beneficiaries for such programmes;

(*v*) Particulars of the Master plan, City Development Plan or any other Plan concerning the development of the municipal area;

(*vi*) The particulars of major works, as may be prescribed, together with information on the value of works, time of completion, and details of contract;

(*vii*) The details of the municipal funds *i.e.*, income generated in the previous year which includes,—

(*a*) taxes, duties, cess and surcharge, rent from the properties, fees from licenses and permissions;

(*b*) taxes, duties cess and surcharge, rent from the properties, fees from licenses and permissions that remain uncollected and the reasons thereof;

(*c*) share of taxes levied by the State Government and transferred to municipality and the grants released to the municipality;

(*d*) Grants released by the State Government for implementation of the schemes, projects and plans assigned or entrusted to the municipality and the nature and extent of utilization; and

(*e*) Money raised through donation or contribution from public or non governmental agencies;

(*viii*) Annual budget allocated to each ward; and

(*ix*) Such other information as may be prescribed.